राजस्थान सरकार
कृषि (ग्रुप–2) विभाग

क्रमांकः–प.4(4)कृषि / ग्रुप–2 / 2018 जयपुर, दिनांकः– 21 FEB 2018

कृषि उत्पादन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका को सम्मान देते हुए उनके द्वारा उत्पादित की जाने वाली कृषि उपज के विपणन में सक्रिय भागीदारी के मध्ययनजर राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में महिलाओं के द्वारा कृषि उपज के विक्रय के पश्चात् ई–भुगतान प्राप्त करने के संबंध में महिला कृषको को प्रोत्साहित करने हेतु निम्नानुसार "सावित्री बाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना" लागू की जाती है–

सावित्री बाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना

1. योजना का नाम

- कृषि उत्पादन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका को सम्मान देते हुए उनके द्वारा उत्पादन की जाने वाली कृषि उपज के विपणन में भी सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। इसी क्रम में राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों में महिलाओं के द्वारा कृषि उपज के ई–विक्रय के पश्चात ई–भुगतान प्राप्त करने पर सावित्री बाई फूले महिला कृषक सशक्तिकरण योजना लागू की गई है।

2. योजना का क्रियान्वयन

- राज्य की किसी भी मण्डी समिति में महिला कृषक द्वारा ई–विक्रय के पश्चात ई–भुगतान प्राप्त करने पर पचास हजार रूपये से अधिक ई–भुगतान होने पर 500 एवं एक लाख रूपये से अधिक ई–भुगतान होने पर 1000 रूपये की प्रोत्साहन राशि सीधे बैंक खाते में स्थानान्तरण होगी।
- योजना की अवधि एक वित्तीय वर्ष होगी।

3. प्रोत्साहन राशि का भुगतान

- महिला कृषक द्वारा ई–विक्रय एवं ई–भुगतान का प्रमाण एक माह की अवधि में प्रस्तुत करने के पश्चात सम्बधित कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा महिला कृषक के बैंक खाते में प्रोत्साहन राशि स्थानान्तरित की जावेगी।

4. योजना का कार्य क्षेत्र– राजस्थान राज्य की समस्त कृषि उपज मण्डी समितियां।

5. विवादों का निपटारा

- पुरस्कार की देयता के संबंध में विवाद होने पर निदेशक कृषि विपणन द्वारा निपटारा किया जावेगा। इस संबंध में राज्य सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

6. योजना के संबंध में न्यायिक क्षेत्राधिकार – योजना के संध में उत्पन्न किसी विवाद का न्यायिक क्षेत्र जयपुर होगा।

7. योजना क्रियान्वयन हेतु धनराशि की व्यवस्था– योजना के क्रियान्वयन,प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं पुरस्कार आदि पर व्यय होने वाली समस्त राशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा किसान कल्याण कोष निधि से वहन की जायेगी।

8. निदेशक को दिशा–निर्देश की शक्तियां– योजना के भली–भांति संचालन के लिए इन नियमों के अधीन रहते हुए निदेशक अपने अधीनस्थ कार्यालयों एवं मण्डी समितियों को समुचित दिशा–निर्देश जारी कर सकेंगे।

(आर.पी.विजय)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि, निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय कृषि विपणन मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रशासक, कृषि विपणन बोर्ड, राजस्थान राज्य जयपुर।
4. निदेशक, कृषि विपणन विभाग राजस्थान जयपुर।
5. रक्षित पत्रावली

शासन उप सचिव